


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लि. बनाम कृष्णा बाई शर्मा

प्रकरण संख्या : 65/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.03.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र में बंधक सम्पत्ति का क्षेत्रफल 260.11 वर्गगज अंकित है और धारा 13 (2) के नोटिस में भी क्षेत्रफल 260.11 वर्गगज अंकित है। जबकि सैल डीड में क्षेत्रफल 1100 वर्गफिट अंकित है। इस प्रकार बंधक सम्पत्ति के क्षेत्रफल में भिन्नता है।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	